न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 51 / 2013 तारीख रजू :– 11.12.2013

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. मंटोलीराम पुत्र छीतर जाति कारीगर निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली – मृतक

1/1. शांति पुत्री स्व0 मंटोलीराम पत्नि राधेश्याम जाति जांगिड निवासी खण्डीप तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

2. रामस्वरूप पुत्र छीतर जाति कारीगर निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली – मृतक

2/1. रेवती पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति कारीगर निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. राधेश्याम पुत्र छीतर जाति कारीगर निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

4. द्वारका प्रसाद पुत्र छीतर जाति कारीगर निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— आवेदकगण

बनाम

1. रूबी पत्नि नीरज कुमार जाति महाजन निवासी मोहर नगर हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

2. अंकित जैन पुत्र सुभाष चन्द जाति जैन निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली———— अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0टी0एक्ट

उपस्थित :–1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट आवेदकगण

2. श्री संतोष कुमार मुद्‌गल एडवोकेट अनावेदकगण

निर्णय

दिंनाक :– 29.06.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.एक्ट के तहत खिलाफ अनावेदकगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.35 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके आवेदकगण एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर का एक मात्र खातेदार काश्तकार आवेदक नं02 है तथा खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 स्थित वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की एक मात्र खातेदार काश्तकार विपक्षी सं01 है और यही राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सं0 2066 से 69 में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि मुतजिका मद नं01 व 2 प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात के पश्चिम में हिण्डौन महवा रोड है। आवेदकगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 0.35 है0 पर आने जाने के लिए अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 के पश्चिमी उत्तरी कोने में स्थित खसरा नम्बर 820 व पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 826 के मध्य की डोल जो आम रोड (सडक) हिण्डौन महवा से आवेदकगण की खातेदारी की भूमि तक जाती है अर्थात आवेदकगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 से आम सडक हिण्डौन महवा पूर्व से पश्चिम को खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य में पूर्व–पश्चिम स्थित है से आवेदकगण बजमाने बुजुर्गान आते रहे हैं और अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 825 की जुताई बुबाई व फसल लाने व ले जाने के लिए हल– बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि बजमाने बुजुर्गान से आज दिन तक ले जाते रहे हैं। उक्त रास्ता प्रारम्भ से ही अर्थात करीब चालीसों साल से 15 फिट चौडाई में पूर्व से पश्चिम आवेदकगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 तक रहा है। आवेदकगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए यही एक मात्र रास्ता है। जिसे आवेदकगण पिछले चालीसों साल से बिना किसी अवरोध के बेरोक टोट निर्वाध रूप से अनावेदकगण सं0 1 व 2 के इल्म में उपयोग करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग की डोटेड लाईन से दिखाया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अनावेदक सं01 व 2 ने आपस में साज करके आवेदकगण के उक्त रास्ता (आवागमन) को बन्द करना चाहते हैं। क्योंकि उक्त भूमि हिण्डौन महवा मार्ग पर आने के कारण भूमियों की कीमत काफी बढ गयी है। जिससे उनके मन में बदयान्ति आ गयी है। जिसके

आरक्षक अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

लिए अनावेदकगण सं0 1 व 2 अब आवेदकगण व उसके परिवारजनों को अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 825 पर आने जाने के लिए रूकावट डालने लगे हैं व उक्त रास्ते को बन्द करने की गरज से अनावेदकगण सं01 ने बसाज अनावेदक सं02 अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 की बिना तहसीलदार हिण्डौन की अनुमति के व खिलाफ कानून पुख्ता बाउण्ड्रीबाल बनाने के लिए पत्थर, ईंट, बजरी, सीमेन्ट मंगा लिये हैं तथा वह पुख्ता बाउण्ड्रीबाल बनाने पर आमादा है और मना करने पर भी मानने को तैयार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 09.11.2013 को समय 10 बजे सुबह का है कि आवेदकगण अपने पुत्रों के साथ अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 पर सरसों की बुबाई हेतु गये तो अनावेदक सं01 ने आवेदकगण के उक्त रास्ते को बन्द करने की गरज से मौके पर खसरा नम्बर 826 की बाउण्ड्रीबाल बनाने की गरज से कारीगर व मजदूर बुला लिये और नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया जिस पर आवेदकगण ने अनावेदकगण से काफी मिन्नतें की कि आप लोग हमारे इस रास्ते को बन्द मत करो। रास्ता बन्द होने पर हमारी खातेदारी की भूमि बेकार हो जावेगी। रास्ते के अभाव में इसमें फसल आदि की जुताई बुबाई नहीं हो सकेगी और भूमि बंजर हो जावेगी। आप चाहो तो इस रास्ते की जमीन की कीमत ले लो मगर हमारा रास्ता बन्द मत करो। रास्ता बन्द होने पर हम अपनी जमीन पर नहीं जा पायेंगे और काश्त से बंचित हो जावेगें। लेकिन आवेदकगण मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र दायर करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील तहसील हिण्डौन में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य की डाल जो 15 फिट चौडी आवेदकगण के खातेदारी की भूमि से पश्चिम को आम सडक महवा तक जाती है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग की डोटेड लाईन से दिखाया गया है, जिसकी चौडाई करीब 15 फिट व लम्बाई आम सडक हिण्डौन महवा रोड तक है की सीमा तक राजस्व रिकार्ड में नवीन रास्ते के रूप में कायम कर नक्शा सीट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करें। आवेदकगण खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य की डोल में होकर कायम किये जाने वाले 15 फिट चौडे रास्ते हेतु उक्त अधिनियिम की मंशा के अनुरूप न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजा राशि खातेदारान को अदा करने तथा व सूरत दीगर अनावेदक सं03 के कार्यालय में जमा कराने को तैयार हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदकगण की ओर से श्री सन्तोष मुद्गल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। अनावेदकगण सं01 व 2 की ओर से पृथक पृथक जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अनावेदकगण सं01 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। आवेदकगण का यह कथन कतई गलत है कि आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 में भूमि खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य बनी डोल में होकर आते जाते हो। आवेदकगण का यह कथन भी गलत है कि तथाकथित डोल में होकर आराजी खसरा नम्बर 825 की जुताई बुबाई व फसल लाने व ले जाने के लिए हम, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि बजमाने बुजुर्गान से आज तक ले जाते रहे हो। आवेदकगण का यह कथन भी कतई गलत है कि उक्त तथाकथित रास्ता करीब चालीसों साल से 15 फिट चौडाई में पूर्व से पश्चिम आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 825 तक रहा हो। आवेदकगण का यह कथन भी गलत है कि वे खसरा नम्बर 820 व 826 की डोल में होकर ही आते जाते हो और उक्त तथाकथित रास्ता को चालीसों साल से बिना किसी अवरोध, बरोक टोक के प्रतिपक्षीगण की जानकारी में काम में लेते चले आ रहे हो। आवेदकगण ने संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से डोटेड लाईन से रास्ता गलत रूप से दर्शाया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर कोई रास्ता नहीं है और ना ही मौके पर कोई रास्ता या पगडण्डी खसरा नम्बर 820 व 826 के

उपखण्ड अधिकारी

मध्य बना हुआ है। बल्कि खसरा नम्बर 820 व 826 को विभाजित करती हुई मौके पर मात्र 6 7 इंच चौड़ाई ऊँचाई की डोल है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है। स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों पर काबिज होकर व अदाय लगान बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिपक्षी नं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 व प्रतिपक्षी सं02 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन के मध्य कोई रास्ता मौके पर बना हुआ नहीं है और ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज है तो प्रतिपक्षीगण द्वारा रास्ता में रूकावट डालना या किसी भी रास्ते को बन्द करने वाली बात कतई गलत व मिथ्या है। प्रतिपक्षी सं01 श्रीमती रूबी ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 किस्म चाही में काश्त की जाने वाली फसल की सार संभाल व सुरक्षा की दृष्टि से जंगली जानवरों आवारा पशुओं से फसल को बचाव हेतु चारों तरफ से बाउण्ड्रीबाल करवाने के लिए मेटेरियल डलवाकर कार्य प्रारम्भ किया है कि जिसके बाबत् कानूनन तहसीलदार हिण्डौन की अनुमति लिया जाना आवश्यकीय नहीं है। प्रतिपक्षी सं01 श्रीमती रूबी द्वारा भूमी की किश्म को नहीं बदला जा रहा है बल्कि सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत बयान किया गया है। जो स्वीकार नहीं है। दिनांक 09.11.2013 को समय सुबह 10 बजे या किसी भी दिन किसी भी समय आवेदकगण व प्रतिपक्षी के मध्य कोई वातावरण–वार्तालाप नहीं हुआ है। आवेदकगण ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत बनावटी महज प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए बयान किये है जो प्रतिपक्षी को स्वीकार नहीं है। जब प्रतिपक्षी नं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 926 रकबा 0.30 है0 के सहारे होकर कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है तो प्रतिपक्षी द्वारा रास्ते को बन्द करना या रास्ते में रूकावट डालने वाली बात कतई गलत बनावटी व मिथ्या है। आवेदकगण ने बदयान्ति पूर्वक प्रतिपक्षी सं01 को तंग व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र हाजा प्रस्तुत किया है, जो कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है।

विशेष कथन :- जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने आवेदन पत्र में चाही गई दादरसी के लिए विधि अनुसार भूमि धारक राजस्थान सरकार तहसीलदार हिण्डौन को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिसके अभाव में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 में से किस खसरा नम्बर में से कितना रकबा (लम्बाई गुणा चौडाई) नवीन रास्ता कायम कराने हेतु लिया जाना है, आवेदन पत्र में बयान नहीं किया है। आवश्यक परिमाप (मेजरमेंट) के अभाव में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने आवेदन पत्र के मद नं0 3 व 4 के अनुसार आवेदन पत्र सुखाधिकार के आधार पर आवेदन पत्र के मद नं0 5 व दादरसी में नवीन रास्ता कायम कराने हेतु मुआवजा राशि भूमि के खातेदारान को अदा कराकर नक्शा सीट में रास्ता तरमीम कराये जाने हेतु पेश किया है, कानून द्विभावी आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने आवेदन पत्र के साथ हल्का पटवारी की रिपोर्ट व डी0एल0सी0 रेट की प्रतिलिपि पेश नहीं की है, जिसके अभाव में आवेदन पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने कतई गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रतिपक्षीगण को हैरान व परेशान करने के लिए विधि एवं नियम विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि विवादित खसरा नम्बर 820, 826 के मध्य में होकर नक्शा सीट के अनुसार खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

825 के लिए समभाग में नवीन रास्ता कायम किया जाना किसी भी भांति सम्भव नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए की मंशानुसार कानूनन पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मौजूदा सूरत में प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदकगण सं02 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। आवेदकगण का यह कथन कतई गलत है कि आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 में भूमि खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य बनी डोल में होकर आते जाते हों। आवेदकगण का यह कथन भी गलत है कि तथाकथित डोल में होकर आराजी खसरा नम्बर 825 की जुताई बुबाई व फसल लाने व ले जाने के लिए हम, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि बजमाने बुजुर्गान से आज तक ले जाते रहे हो। आवेदकगण का यह कथन भी कतई गलत है कि उक्त तथाकथित रास्ता करीब चालीसों साल से 15 फिट चौडाई में पूर्व से पश्चिम आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 825 तक रहा हो। आवेदकगण का यह कथन भी गलत है कि वे खसरा नम्बर 820 व 826 की डोल में होकर ही आते जाते हो और उक्त तथाकथित रास्ता को चालीसों साल से बिना किसी अवरोध, बेरोक टोक के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रतिपक्षीगण की जानकारी में काम में लेते चले आ रहे हो। आवेदकगण ने संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से डोटेड लाईन से रास्ता गलत रूप से दर्शाया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर कोई रास्ता नहीं है और ना ही मौके पर कोई रास्ता या पगडण्डी खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य बना हुआ है। बल्कि खसरा नम्बर 820 व 826 को विभाजित करती हुई मौके पर मात्र 6–7 इंच चौडाई ऊँचाई की डोल है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है। स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों पर काबिज होकर व अदाय लगान बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिपक्षी नं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 व प्रतिपक्षी सं02 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन के मध्य कोई रास्ता मौके पर बना हुआ नहीं है और ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज है तो प्रतिपक्षीगण द्वारा रास्ता में रूकावट डालना या किसी भी रास्ते को बन्द करने वाली बात कतई गलत व मिथ्या है। प्रतिपक्षी सं01 श्रीमती रूबी ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 किस्म चाही में काश्त की जाने वाली फसल की सार संभाल व सुरक्षा की दृष्टि से जंगली जानवरों आवारा पशुओं से फसल को बचाव हेतु चारों तरफ से बाउण्ड्रीबाल करवाने के लिए मेटेरियल डलवाकर कार्य प्रारम्भ किया है कि जिसके बाबत् कानूनन तहसीलदार हिण्डौन की अनुमति लिया जाना आवश्यकीय नहीं है। प्रतिपक्षी सं01 श्रीमती रूबी द्वारा भूमि की किश्म को नहीं बदला जा रहा है बल्कि सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत बयान किया गया है। जो स्वीकार नहीं है। दिनांक 09.11.2013 को समय सुबह 10 बजे या किसी भी दिन किसी भी समय आवेदकगण व प्रतिपक्षी के मध्य कोई वातावरण–वार्तालाप नहीं हुआ है। आवेदकगण ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत बनावटी महज प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए बयान किये है जो प्रतिपक्षी को स्वीकार नहीं है। जब प्रतिपक्षी नं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 के सहारे होकर कोई

रास्ता ही मौजूद नहीं है तो प्रतिपक्षी द्वारा रास्ते को बन्द करना या रास्ते में रूकावट डालने वाली बात कतई गलत बनावटी व मिथ्या है। आवेदकगण ने बदयान्ति पूर्वक प्रतिपक्षी सं01 को तंग व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र हाजा प्रस्तुत किया है, जो कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है।

विशेष कथन :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने आवेदन पत्र में चाही गई दादरसी के लिए विधि अनुसार भूमि धारक राजस्थान सरकार तहसीलदार हिण्डौन को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिसके अभाव में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 में से किस खसरा नम्बर में से कितना रकबा (लम्बाई गुणा चौडाई) नवीन रास्ता कायम कराने हेतु लिया जाना है, आवेदन पत्र में बयान नहीं किया है। आवश्यक परिमाप (मेजरमेंट) के अभाव में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने आवेदन पत्र के मद नं0 3 व 4 के अनुसार आवेदन पत्र सुखाधिकार के आधार पर आवेदन पत्र के मद नं0 5 व दादरसी में नवीन रास्ता कायम कराने हेतु मुआवजा राशि भूमि के खातेदारान को अदा कराकर नक्शा सीट में रास्ता तरमीम कराये जाने हेतु पेश किया है, कानून द्विभावी आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र के साथ हल्का पटवारी की रिपोर्ट व डी0एल0सी0 रेट की प्रतिलिपि पेश नहीं की है, जिसके अभाव में आवेदन पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने कतई गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रतिपक्षीगण को हैरान व परेशान करने के लिए विधि एवं नियम विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि विवादित खसरा नम्बर 820, 826 के मध्य में होकर नक्शा सीट के अनुसार खसरा नम्बर 825 के लिए समभाग में नवीन रास्ता कायम किया जाना किसी भी भांति सम्भव नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए की मंशानुसार कानूनन पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मौजूदा सूरत में प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील आवेदकगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2066 –69 किता–4, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अनावेदकगण ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2066 –69 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अनावेदक संख्या 02 अंकित जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन जाति जैन निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066 –69 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की

(करौली)

खातेदारी अनावेदक संख्या 01 रूबी धर्म पत्नि नीरज कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी मोहन नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066 –69 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंटोलीराम रामस्वरूप राधेश्याम द्वारकाप्रसाद पि0 छीतर जाति कारीगर निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2022/6355 दिनांक 12.01.2022 से उक्त प्रकरण में रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 11.01.2022 को तैयार किया गया फर्द मौका पेश किया है। फर्द मौका दिनांक 11.01.2022 में दर्ज किया है कि उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश रीडर/कमांक/6047 दिनांक 06.12.2021 एवं तहसीलदार के आदेश कमांक 6136–37 दिनांक 17.12.2021 की पालना में मुकदमा नं0 51/2013 आर.टी.एक्ट की धारा 251 उनवानी मंटोलीराम बनाम रूबी वगैराह में पटवारी हल्का महूइब्राहिमपुर के साथ खसरा नम्बर 825 के लिए खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य होकर रास्ता चाहने बाबत् मौका देखा गया। मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 825 रकबा 0.35 है0 की खातेदारी द्वारकाप्रसाद राधेश्याम पि0 छीतर हि01/2, रेवतीप्रसाद पुत्र रामस्वरूप हि01/4, शान्ती पुत्री मंटोलीराम पत्नि राधेश्याम हिस्सा 1/4 जाति कारीगर सा0देह व खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0 की खातेदारी अंकित जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन जाति जैन निवासी वर्धमान नगर व खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 रूबी पत्नि नीरज कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी मोहन नगर हिण्डौन दर्ज रिकार्ड है। मौके अनुसार उक्त खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य कोई रास्ता नहीं है न ही रास्ते के कोई चिन्ह अंकित है। दोनों खेतों के मेंड के सहारे फसल काशत हो रही है। उक्त फर्द मौका पर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं हल्का पटवारी महूइब्राहिमपुर के हस्ताक्षर एवं अन्य दो उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 826 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर अनावेदक संख्या 01 रूबी धर्म पत्नि नीरज कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी मोहन नगर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 820 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अनावेदक संख्या 02 अंकित जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन जाति जैन निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन की खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 825 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन आवेदकगण मंटोलीराम रामस्वरूप राधेश्याम द्वारकाप्रसाद पि0 छीतर जाति कारीगर की खातेदारी भूमि रिकार्ड है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 एवं रिपोर्ट के साथ भू-अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 11.01.2022 को तैयार किया गया फर्द मौका के अनुसार खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य कोई रास्ता नहीं है न ही रास्ते के कोई चिन्ह अंकित है। दोनों खेतों के मेंड के सहारे फसल काश्त हो रही है। जिससे साफ जाहिर है कि खसरा नम्बर 825 की भूमि पर जाने के लिए खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य की डोल पर होकर कोई रास्ता नहीं होना साबित है अर्थात आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 825 की भूमि पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 820 व 926 की भूमि के मध्य की डोल भूमि को कभी भी रास्ते के उपयोग उपभोग में लेना साबित नहीं कर पाये हैं। आवेदकगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य मौके पर लगभग 15 फिट चौडाई में रास्ता मौके पर बना हुआ हो और वह रास्ता खसरा नम्बर 825 के लिए जाता हो। बल्कि तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 820 व 826 के मध्य की मेड पर कोई रास्ता मौके पर नहीं है बल्कि मेंड के दोनों तरफ फसल खडी हुई है। इस प्रकार आवेदकगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे हालात में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है तथा आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में तहसीलदार हिण्डौन को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जबकि तहसीलदार हिण्डौन लैण्ड होल्डर होने के कारण उक्त मुकदमा में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज होने के कारण भी आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदकंगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट 1955 विरूद्ध अनावेदकगण बाबत ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की भूमि खसरा नम्बर 82[illegible] व 826 के मध्य की मेड पर रास्ता 15 फिट चौडाई का दिये जाने का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कुम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 29.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली